को पेश हो

20/11/19 प्र.क. इस्व उभय-पक्षकारान
के अधिवक्तागण की बहस
सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी
के अपनी बहस मे प्रा. पत्र
के वर्णित तथ्यो को दोहराते
हुये कथन किया गया कि
माननीय न्यायालय के सं. 01/201
उनवान धीरज उर्फ धीरजपाल
बनाम गोपाल व अन्य प्रा. पत्र
मे दिनांक 31/5/2018 को
उक्त धाराधीयात मे हार फैसला
पाउ उभय-पक्षकारान को
मौके की यथास्थिति बनाये
रखने एवं किसी विवाद

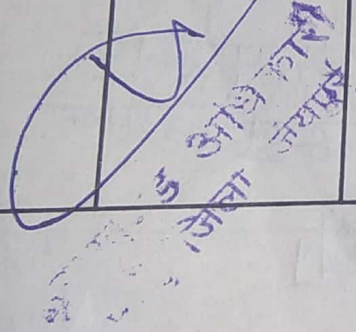

बनाम

न्यायालय

क्रिया

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	भू भाग का बेचान नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया था। मकबेट ख.नं. 442 का मकबेट के आधार निर्माण कर किया है। जिसमें प्रार्थी करवे स्थान पर सरबाध की बने हुये है। प्रार्थी के पुत्र पुत्रीयां बालिग है जिनका विवाह करने बालिग है जिनका विवाह करने की आवश्यकता है हेतु मकान की आवश्यकता है विवाह करने स्थान घरो के विवाह करने के परेशानी हेतु है वर्षा के दिनों पानी भरने से गिरने की सम्भावना रहती है प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर स्वगन आदेश दिनांक 3/5/2018 में संशोधन कर ख.नं. 442 में स्वयं के रहवास हेतु पुख्ता रहवास बनाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने जवाब में वर्णित कथन तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया गया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के कोई मनबेट के आधार पर बंटवारा नहीं किया गया है अप्रार्थीगण	

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर	ने दिनांक 6/10/2015 को इन्कार करने बाद वाद कारण उत्पन्न हुआ इस कारण भी वाद पूर्व के बटवारा बताने से एस्टोपल्स हो जाता विवादित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सह-खातेदारी भूमि है सह-खातेदारी भूमि मानकर ही न्यायालय के द्वारा दिनांक 31/5/2018 आदेश पारित किया गया है मगर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने वादी का वाद डिक्री होता है जिससे अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा पक्षकारान के मध्य विवाद का निस्तारण नहीं हो कर वरन बहुवाद विवादिता का सृजन होगा। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र हर्जे खर्चे खारिज किये जाने आदेश पारित किये जाने की कृपा करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभय-पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के द्वारा दी प्रार्थना-पत्र

Scanned by CamScanner

बनाम

...ायालय

...ख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर	अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 बाबत सपठित धारा 151 परिवर्तित स्थगन आदेश के पुख्ता निर्माण कर प्रार्थी को पुख्ता इजाजत कार्य करने की इजाजत का पेश किया गया है जबकि प्रार्थी पूर्व के स्थगन को प्रार्थी वादी के द्वारा लिया गया था जबकि अप्रार्थी के वाद के जवाब अपने कोई बेरवार नहीं हुआ पेश किया गया है प्रार्थी मूल वाद का निस्तारण न करवाकर बहु वाद विवादित का स्थगन किया जा रहा है जिससे अप्रार्थीगण को अपूरणीय हानि का नुकसान अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित होता है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 CPC का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 बाबत स्थगन आदेश के परिवर्तित कर प्रार्थी को पुख्ता निर्माण,	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		जारी करने की अनुमति प्रदान किये जाने स्वीकार किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड ...री चौमूं ...जयपुर

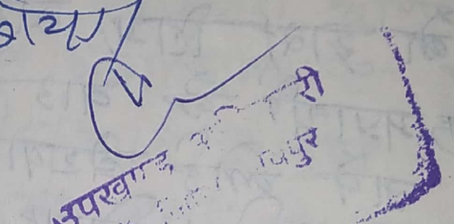

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2019.12.27 17:04:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: